न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 18/2025 **GCMS No.—2025/44**

1. सीताराम मीणा पुत्र श्री रामसहाय मीणा निवासी खिजूरिया तिवाडीयान तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. कमला पत्नी हरसहाय मीणा निवासी खिजूरिया तिवाडीयान तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. जयराम पुत्र ओकार मीणा निवासी खिजूरिया तिवाडीयान तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. नवीन ग्राम पंचायत खिजूरिया तिवाडियान जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खिजूरिया तिवाडीयान पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत खतैपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खतैपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

.............विपक्षीगण

निगरानी याचिका अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत खतेपुरा, पं.स. बस्सी जिला जयपुर मिसल संख्या 21/2020–21 संकल्प संख्या 2 दिनांक 04.09.2020 अवैध तरीके से पट्टा संख्या 35 दिनांक 07.09.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री निखिल अग्रवाल, रामकिशोर डागर अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

निर्णय दिनांकः 14.11.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खतेपुरा, पंचायत समिति बस्सी के मिसल संख्या 21/2020–21 संकल्प संख्या 2 दिनांक 04.09.2020 की पालना में निर्णय/आदेश दिनांक 07.09.2020 से गैर निगरानीकार संख्या 1 ग्राम पंचायत खिजूरिया तिवाडीयान के हक में पट्टा संख्या 35 जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 25.02.2025 को न्यायालय में पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति तूंगा से रिपार्ट दिनांक 19.09.2025 प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। वकील निगरानीकार की बहस सुनी गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

योग्य अभिभाषक निगरानीकार द्वारा निगरानीकार ग्राम खिजूरिया तिवाडीयान तहसील बस्सी के स्थाई निवासी है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ग्राम पंचायत खतेहपुरा

द्वारा अपने अस्तित्व में रहते हुए निगरानीकार संख्या के हक में निर्धारित राशियां जमा कर एवं विधिवत प्रकिया अपनाकर दिनांक 06.01.2003 को पट्टा (क्षेत्रफल 78 वर्गगज) जारी किया गया था एवं निगरानीकार संख्या 2 के हक में भी दिनांक 18.10.1999 को 44.4 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था एवं निगरानीकार संख्या 3 के हक में भी आदेश दिनांक 18.10.1999 को पट्टा संख्या 35 क्षेत्रफल 44.44 वर्गगज जारी किया गया था। उक्त पट्टो की भूमि पर निगरानीकार वर्तमान में काबिज है। ग्राम पंचायत खतेपुरा को परिवर्तित करते हुए नवीन ग्राम पंचायत खिजूरिया तिवाडीयान सृजित कर दिये जाने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त निगरानीकार के पट्टेशुदा भूमि सम्पूर्ण सम्मिलित करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से अवैधानिक रूप से पट्टा क्षेत्रफल 3977 वर्गगज जारी कर दिया। ग्राम पंचायत खतेपुरा ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे से पूर्व ही निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को तीन पट्टे विधिवत रूप से जारी कर दिये गये थे एवं ग्राम पंचायत खतेपुरा को सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद गैर निगरानीकार संख्या 1 ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान के हक में पट्टा जारी कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही निरस्तनीय है। निगरानीकार अपने आवंटनशुदा भूखण्डो पर हाल आबाद होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकार को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पंचायत राज नियम 148 के अनुसार एक माह का पब्लिक नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया जाना चाहिए था, किन्तु पट्टा पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस पर चस्पानगी का स्थान अंकित नहीं है। इसलिए निगरानीधीन पट्टा निरस्तनीय है। निगरानीधीन पट्टे की जानकारी निगरानीकार को दिनांक 01.02.2025 को हुयी जब अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निगरानीकार के कब्जे में महाजत मदाखत कारित की गयी है जिस पर निगरानीकार को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुयी एवं अविलम्ब निगरानीधीन पट्टे की नकल प्राप्त कर न्यायालय में जानकारी से अन्दर मियाद निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत खतेपुरा के आदेश दिनांक 07.09.2020 द्वारा जारी विपक्षी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 35 को निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत खतेपुरा द्वारा विकास अधिकारी बस्सी को दिनांक 03.06.2020 को नवीन ग्राम पंचायत खिजूरिया तिवाडीयान के भवन के लिए प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण कर भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजा गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी द्वारा जरिये पत्रांक 1017 दिनांक 29.07.2020 द्वारा नवीन ग्राम पंचायत खिजूरिया तिवाडीयान हेतु पट्टे जारी करने के अनुमोदन हेतु पत्रावली अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को प्रेषित की गयी। प्रशासक एवं मुख्य

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर आदेश क्रमांक 1906 दिनांक 31.08.2020 अनुसार ग्राम पंचायत भवन खिजुरिया तिवाडीयान के निःशुल्क भूमि आवंटन क्षेत्रफल 3977 वर्गगज का अनुमोदन किया गया जिसकी पालना में ग्राम पंचायत खतेपुरा द्वारा नवीन ग्राम पंचायत खिजूरिया तिवाडीयान को आदेश दिनांक 07.09.2020 द्वारा पट्टा जारी किया गया। प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति तूंगा से मौका रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक 19.09.2025 अनुसार वर्तमान में निगरानीधीन पट्टे की सम्पूर्ण भूमि पर ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान का कब्जा है एवं उक्त भूमि में पंचायत भवन का निर्माण किया जा चुका है एवं चारदीवारी का निर्माण प्रगतिरत है तथा निगरानीकार को ग्राम पंचायत खतेपुरा द्वारा जारी पट्टा पत्राविलयों का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण से निगरानीकार के पट्टो की सत्यता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। निगरानीकार द्वारा निगरानी मीमो में वर्णित तथ्यों अनुसार निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निगरानीकार का कब्जा होना जाहिर किया है किन्तु विकास अधिकारी पंचायत समिति तूंगा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार निगरानीधीन पट्टे की भूमि में वर्तमान में ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान का कब्जा है। आबादी भूमि के संबंध में किसी के हक, हकूक, अधिकार तय करने बाबत क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 404 दिनांक 11.02.2020 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के अनुमोदन आदेश दिनांक 31.08.2020 के क्रम में ग्राम पंचायत खतेपुरा द्वारा ग्राम पंचायत खिजुरिया तिवाडीयान को निगरानीधीन पट्टा दिनांक 07.09.2020 को जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली, विकास अधिकारी पं.स. तूंगा से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है। ग्राम पंचायत खतेपुरा पंचायत समिति बस्सी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम में निहित विधिक प्रकिया एवं नियमों की पालना करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर